न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0)एक्ट,सुलतानपुर।

उपस्थितः राकेश पाण्डेय {उच्चतर न्यायिक सेवा}

(जे0ओ0 कोडः- UP 2397)

UPST010050402026

क्रिमिनल मिस0 संख्या 204/2026,

विजय कुमारी------बनाम------रामू पाल,

दिनांक 19.06.2026

1. पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-173(4) द0प्र0सं0 पर प्रार्थिनी के अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है। प्रार्थनापत्र एवं थाने की आख्या का अवलोकन किया।

2. प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-173(4) द0प्र0सं0 में प्रार्थिनी द्वारा यह कथन किया गया है कि दिनांक 21.02.2026 को प्रातः लगभग 7:30 बजे पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर लौटते समय विपक्षी रामू पाल पुत्र भागीरथी, निवासी उपरोक्त, ने रास्ते में रोककर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की तथा मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। घटना के संबंध में प्रार्थिनी द्वारा तत्काल 112 पुलिस को सूचना दी गई तथा थाना गौरीगंज में प्रार्थनापत्र दिया गया, जिस पर उसका चिकित्सीय परीक्षण भी कराया गया, किन्तु आज तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त को पकड़कर धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत चालान किया गया तथा एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया गया, परंतु बार-बार अनुरोध के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थिनी द्वारा पुलिस अधीक्षक अमेठी, राज्य महिला आयोग, एस.सी./एस.टी. आयोग, मानवाधिकार आयोग एवं अन्य उच्चाधिकारियों को भी प्रार्थनापत्र प्रेषित किए गए, किन्तु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। अतः न्यायहित में अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराए जाने का आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। इसके पश्चात थाने से निराश होकर प्रार्थिनी ने दिनांक 16.04.2026 को पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर को प्रार्थना पत्र दिया, किन्तु उनके द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी तब यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

3. प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-173(4) द0प्र0सं0 प्रस्तुत होने के उपरान्त सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या के अनुसार उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थिनी विजय कुमारी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि विपक्षी रामू पाल पुत्र भागीरथी द्वारा उन्हें जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए गाली-गलौज एवं मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। त्र अतः उपरोक्त आरोप प्रथमदृष्ट्या संज्ञेय एवं गंभीर प्रकृति के प्रतीत होते हैं।

5. रामबाबू गुप्ता व एक अन्य प्रति उ0प्र0 2001(43) ए0सी0सी0 में इलाहाबाद माननीय उच्च न्यायालय पूर्णपीठ तथा इस सम्बंध में सुखबासी बनाम उ0प्र0 राज्य 2008(472)(डी0बी0) एवं नरेश कुमार बाल्मिकी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य 482 नं0 24984/2021 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर मजिस्ट्रेट को क्षेत्राधिकार है कि वह प्रार्थनापत्र स्वीकार कर एफ0आई0आर0 दर्ज करने का आदेश को अथवा परिवाद के रूप में मानकर अग्रिम कार्यवाही करें।

6. मोहम्मद युसुफ बनाम श्रीमती आफाकजहां व अन्य 2006(54) ए0सी0सी0 उच्चतम न्यायालय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 156(3) द0प्र0सं0 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर मामला परिवाद के रूप में अग्रसारित किया जा सकता है। श्रीमती मोना पवार बनाम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद 2011(74) ए0सी0सी0 216 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश पारित करने के लिए मजिस्ट्रेट सक्षम है। उस स्थिति में मामले को परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था का परिशीलन करने और प्रार्थनापत्र पर प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने से स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में प्रार्थिनी को घटना व अभियुक्त के नाम पता व अन्य सभी तथ्य ज्ञात है और प्रार्थिनी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम है। वर्तमान प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य नही है जिसकी विवेचना कराया जाना आवश्यक हो। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में मामला परिवाद के रूप में पंजीकृत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाये। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अन्तर्गत धारा–223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 29.10.2026 को पेश हो। प्रार्थिनी सूची गवाहान प्रस्तुत करे।

ह0

(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश,
एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) ऐक्ट,
सुलतानपुर
(जे0ओ0 कोडः- UP 2397)

(स्टेनो सुधीर सिंह)